Hyderabad) during the last three years is:

1993	*1994*	*1995*
202008	131342	149422

(b) No, Sir.

(c) The average number of passport applications received from Visakhapatnam and Vijaywada in a month are 625 and 350 respectively. As the demand for passports from these two places is not very high, there is no felt need at present to open offices at either of these two places. Moreover, Passport Office, Hyderabad is well equipped to serve and cater to all districts of Andhra Pradesh including the above two.

कुल्लू स्थित अबेरी में सेना की छावनी की स्थापना

390. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अबेरी नामक स्थान पर सेना की छावनी बनाने हेतु भूमि का अधिग्रहण करने की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) अधिग्रहण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त छावनी की स्थापना में हुई प्रगति की नवीनतम स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) से (ग) छावनी की स्थापना के लिए (क) कुमसू गांव में राज्य सरकार की 11.26 हेक्टेयर (133 बीघा 12 बिस्वा) और अबेरी गांव में 38.52 हेक्टयर (456 बीघा 18 बिस्वा) भूमि तथा (ख) अबेरी गांव में 105.95 हेक्टेयर (1256 बीघा 14 बिस्वा) गैर-सरकारी भूमि के हस्तांतरण / अधिग्रहण के लिए 2 जुलाई, 1991 को मंजूरी जारी की गई थी। शिमला जिले के कुमसू गांव में राज्य सरकार की 11.26 हेक्टेयर (133 बीघा 12 बिस्वा) भूमि पर 9.9.94 को कब्जा ले लिया गया है। अबेरी गांव में रज्य सरकार की 38.52 हेक्टेयर (456 बीघा 18 बिस्वा) भूमि की मांग छोड़ दी गई है। अबेरी गांव में गैर-सरकारी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में राज्य सरकार ने भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के तहत 16.11.94 को नोटिस जारी कर दिया है जिसे राज्य के राजपत्र में 21.9.95 को प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात् इस अधिनियम को धारा-6 के तहत 15.2.96 को तत्संबंधी घोषणा कर दी गई थी और उसे राज्य के राजपत्र में 29.2.96 को प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई दो वर्ष के भीतर पूरी की जानी है। छावनी की स्थापना सेना प्राधिकारियों द्वारा भूमि पर वास्तविक कब्जा किए जाने के बाद ही की जा सकती है।

Notification of Schedule 'B' of Buchawat Award

391. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of WATER RESOUR CES be pleased to state:

(a) whether Karnataka Government have urged for notifying schedule 'B' of Buchawat Award; and

(b) the various steps taken by Govern ment to implement the Buchawat Award?

THE MINISTER OF WATER RE-SOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) and (b) There is no Schedule — 'B' of the Bachawat Award. However, the Tribunal had considered Scheme — 'B' while considering allocation of Krishna Water to the Basin States of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. The Government of Karnataka while seeking clarification had prayed to the Tribunal to direct the implementation of the Scheme — 'B' irrespective of the consent of the Basin States. But the Tribunal did not include Scheme — 'B' in its final order.

In accordance with Section 6 of Inter-State Water Disputes Act, 1956 the Government of India published the decisions of Krishna Water Disputes Tribunal on 31st May, 1976, thus making it final and binding on the party States.

Damage of Vehicles during towing away

392. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a crane without the police constable being present towed away a car with a girl therein recently in Delhi;

(b) if so, the reasons for the police cop not being present on duty and towing away a car with a girl therein;